रामचन्द्र पिता कालू जी बलाई नि0सारण बनाम ___कालू पिता नंदा जी बलाई नि0 सारण

करम मुकदमा ..... नं0 .....108/2016..... सन् .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
24.4.2017	पत्रावली पेश हुई ,प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट पर अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस को पूर्व में सुना गया । अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में एवं प्रार्थना पत्र में निवेदन इस प्रकार से किया कि मौजा सारण प0ह0 मोतीपुरा के आराजी संख्या 369,370,376,377 कीता–4 रकबा 1.8900हैक्टर एवं खाता संख्या 20 के आराजी संख्या 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 338 ,339 ,341,342,343कीता–15 रकबा 5.820हैक्टर भूमि प्रार्थीगण के पुश्तैनी भूमि है ,परिवार के सजरा अनुसार विपक्षी सं. 1 कालू प्रार्थीगण के पिता है तथा विपक्षी सं. 2 प्रार्थीगण के भाई है ,वर्तमान में भूमि प्रार्थीगण के पिता के नाम पर दर्ज है जो काफी वृद्ध होकर उनकी मानसिक स्थिति कमजोर होने से उसका नाजायज फायदा उठाते हुए विपक्षी सं0 2 आये विपक्षी सं0 1 को बहकता रहता है तथा भूमि को खुर्द बुर्द करने की योजना बना रहा है जबकि भूमि में हम प्रार्थीगण का भी हिस्सा भूमि पुश्तैनी होने से बनता है। यदि विपक्षीगण को मूल दावे के अंतिम निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी । अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की कलम 2 के उप कलम अ व ब में वर्णित कृषि आराजीयात को विपक्षीगण किसी भी प्रकार से न तो स्वयं एवं नही अपने किसी नौकर, रिश्तेदार, एजेण्ट आदि के माध्यम से खुर्द बुर्द एवं अंतरिम करावें न ही विपक्षी सं03 विक्रय का पंजीयन करें इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें । पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदीयात का अवलोकन किया जाने पर पाया जाता है कि वर्णित भूमि प्रार्थीगण के पिता कालू पिता नंदा व उनके अन्य सहखातेदारान के नाम पर 1/4 हक से दर्ज है , भूमि पुश्तैनी होना भी नकल जमाबंदी से प्रमाणित होता है, पुश्तैनी भूमि में कालू के पुत्र पुत्रीयों का हक निहित है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। वर्णित भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि होना दस्तावेज से सिद्ध होने से जन्म से ही प्रार्थीगण का	

का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है । प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है तथा उक्त भूमि में प्रार्थीगण का भी हक हिस्सा होना अथवा न होना मूल दावे में निस्तारित होगा , मूल दावे के निस्तारण से पूर्व यदि विपक्षीगण द्वारा भूमि को खुर्द बुर्द कर दिया जाता है तो निश्चित ही प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी । ऐसी स्थिति में हम विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित समझते है ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अ0धा0 212 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को मूल दावे के अंतिम निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे मौजा सारण प0ह0 मोतीपुरा की आराजी संख्या 369,370,376,377 कीता–4 रकबा 1.8900हैक्टर एवं खाता संख्या 20 के आराजी संख्या 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 338 ,339 ,341,342,343कीता–15 रकबा 5. 820हैक्टर भूमि को न तो स्वयं एवं नही अपने किसी नौकर, रिश्तेदार, एजेण्ट आदि के माध्यम से खुर्द बुर्द एवं अंतरिम करावें न ही विपक्षी सं03 विक्रय का पंजीयन करें इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है ।

आदेश आज दिनांक 24.4.2017 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल की जाकर नम्बर से कम हो मूल दावे के साथ रहे।

(मोनिका बलारा)
सहायक कलक्टर
(उपखण्डअधिकारी)
बेगूँ